

## मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन

### प्रलिमिस के लिये:

मानव-वन्यजीव संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, FAO, UNDP

### मेन्स के लिये:

मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मुद्दे और उपाय

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रॉनिन के ऑक्सफोर्ड में मानव-वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्ततित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें [मानव-वन्यजीव संघर्ष](#) के मुद्दे का हल निकालने के लिये लगभग 70 देशों के हज़ारों कार्यकरता एकजुट हुए।

- यह सम्मेलन [अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ](#) (International Union for Conservation of Nature- IUCN), [खाद्य एवं कृषि संगठन](#) (Food and Agriculture Organization- FAO), [संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम](#) (UN Development Programme) और अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था।

### प्रमुख बांदि

- मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान हेतु कार्य करने वाले लोगों और संस्थानों के बीच साझेदारी तथा सहयोग के विषय पर्याप्ती संवाद और समझ विकास करने के लिये सुवधि प्रदान करना।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सह-अस्ततित्व और बातचीत के क्षेत्र से नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों, विधियों, विचारों एवं सूचनाओं की अंतःविषयक और साझा समझ विकास करना।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष जैवविविधिता संरक्षण और अगले दशक के लिये निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में शीर्ष वैश्वकि प्राथमिकताओं में से एक है, यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा वैश्वकि नीतियों तथा पहलों पर एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने और इसमें कमी लाने के लिये समझ और निषिद्धान भनिन्ताओं की समस्या के निपटान हेतु एक सामूहिक कार्ययोजना विकास करना।

### सम्मेलन की आवश्यकता का कारण:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष विश्व भर में विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, सह-अस्ततित्व और जैवविविधिता की सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रमुख चुनौती है।
  - [संयुक्त राष्ट्र प्रयोग कार्यक्रम](#) के अनुसार, इस संघर्ष से विश्व भर में 75 फीसदी से अधिक जंगली बिल्लियों की प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- यह "पारस्थितिकी, पशु व्यवहार, मनोविज्ञान, कानून, संघर्ष का विश्लेषण, मध्यस्थिता, शांति निरिमाण, अंतर्राष्ट्रीय विकास, अरथशास्त्र, नृ-विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को समझने, एक-दूसरे से सीखने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।
  - दसिंबर 2022 में जैवविविधिता पर संयुक्त राष्ट्र अभियान में सहमत [कुनमगि-मॉन्ट्रियल वैश्वकि जैवविविधिता फ्रेमवरक](#) के लक्ष्य-4 में मानव-वन्यजीव संपर्क का प्रभावी प्रबंधन निर्धारित किया गया है।

### मानव-पशु संघर्ष:

- प्रचियः
  - मानव-पशु संघर्ष उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ मानव गतिविधियों, जैसे कृषि, बुनियादी ढाँचे का विकास या संसाधन निषिद्धान, में वन्य पशुओं के साथ संघर्ष की स्थिति होती है, इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लिये नकारात्मक परिणाम

## सामने आते हैं।

### ■ प्रभाव:

- **आरथकि क्षति:** मानव-पशु संघर्ष के परणिमस्वरूप लोगों, वशीष रूप से कसिनों और पशुपालकों को महत्वपूर्ण आरथकि क्षति हो सकती है। वन्य पशु फसलों को नष्ट कर सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा पशुधन को हानि पहुँचा सकते हैं जिससे वित्तीय कठिनी हो सकती है।
- **मानव सुरक्षा के लिये खतरा:** जंगली जानवर मानव सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ मानव और वन्यजीव सह-अस्तित्व में रहते हैं। शेर, बाघ और भालू जैसे बड़े शक्तिशाली के हमलों के परणिमस्वरूप गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है।
- **पारस्थितिक क्षति:** मानव-पशु संघर्ष पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिये यदि मानव शक्तिशाली पशुओं को मारते हैं तो शक्तिशाली पशुओं की आबादी में वृद्धि हो सकती है, जो पारस्थितिक असंतुलन का कारण बन सकती है।
- **संरक्षण चुनौतियाँ:** मानव-पशु संघर्ष भी संरक्षण पर्यावारों के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की नकारात्मक धारणा हो सकती है तथा संरक्षण उपायों को लागू करना कठिन हो सकता है।
- **मनवैज्ञानिक प्रभाव:** मानव-पशु संघर्ष का लोगों पर मनवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, वशीष रूप से उन लोगों पर जनिहोने हमलों या संपत्ति के नुकसान का अनुभव किया है। यह भय, चिंता और आघात का कारण बन सकता है।

### ■ सरकारी उपाय:

- **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** यह अधिनियम गतविधियों, शक्तिशाली पर्यावरण पर विभिन्न वन्यजीव आवासों के संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षण क्षेत्रों की स्थापना आदि के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- **जैव विधिता अधिनियम, 2002:** भारत **जैवविधिता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन** का एक हस्तांतरण है। जैवविधिता अधिनियम के प्रारंभिक वन्यजीवों से संबंधित कसी अन्य कानून के प्रारंभिक वन्यजीवों के अतिरिक्त है।
- **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (वर्ष 2002-2016):** यह संरक्षण क्षेत्र नेटवर्क को मज़बूत करने के साथ उन्हें बढ़ाने, लुपत्प्राय वन्यजीवों एवं उनके आवासों के संरक्षण, वन्यजीव उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करने तथा अनुसंधान, शक्तिशाली पर्यावरण पर केंद्रित है।
- **प्रोजेक्ट टाइगर:** प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविरतन मंत्रालय (MoEFCC) की एक **केंद्रीय प्रायोजनित योजना** है। यह देश के राष्ट्रीय उदयानों में बांधों के लिये आश्रय प्रदान करती है।
- **प्रोजेक्ट एलीफेंट:** यह एक केंद्रीय प्रायोजनित योजना है और हाथरायों, उनके आवासों एवं उनके गवायों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।

# मानव-वन्यजीव संघर्ष

जब मानव तथा वन्यजीवों के आमने-आने से संपत्ति, आजीविका तथा जीवन की हानि जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं

**मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण**

- ◆ कृषि संबंधी विस्तार
- ◆ शहरीकरण
- ◆ अवसंरचनात्मक विकास
- ◆ जलवायु परिवर्तन
- ◆ वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि तथा इनके क्षेत्र (रेंज) का विस्तार

**मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभाव**

- ◆ गंभीर चोटें, जीवन की हानि
- ◆ खेतों और फसलों को नुकसान
- ◆ जानवरों के खिलाफ हिंसा विस्तार

2003-2004 के दौरान WWF इंडिया ने सौनितपुर मॉडल विकासित किया जिसके माध्यम से समुदाय के सदस्यों को असम वन विभाग से जोड़ गया और हाथियों को फसली खेतों तथा मानव आवासों से सुरक्षित रूप से दूर करने का प्रशिक्षण दिया गया।

2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने नीलगिरी हाथी गलियारे पर मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें जानवरों के लिये मार्ग के अधिकार (Right of passage) और क्षेत्र में रिपोर्टर्स को बदल करने को युटि की गई थी।

**मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु सलाह (राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति)**

- ◆ समस्यात्मक जंगली जानवरों से निपटने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकार (WPA 1972)
- ◆ मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण फसल क्षति के लिये मुआवजा (पीएम फ्राल बीमा योजना)
- ◆ प्रारंभिक चेतावनी फ्राली को अपनाने और अवरोधक लगाने के लिये स्थानीय/राज्य विभाग
- ◆ पीड़ित/परिवार को घटाना के 24 घंटे के भीतर अंतरिम राहत के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान करना

**राज्य-विशिष्ट पहलें**

- ◆ **उत्तर प्रदेश-** मानव-पशु संघर्ष सूचीबद्ध आपदाओं के अंतर्गत शामिल (राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में)
- ◆ **उत्तराखण्ड-** क्षेत्रों में पौधों की विभिन्न प्रजातियों को उगाकर बांधों-फॉर्सेंस की जाती है
- ◆ **ओडिशा-** जंगली हाथियों के लिये खाद्य भंडार को समृद्ध करने हेतु वनों में सीड बॉल डालना

वर्ष 2021-22 में हाथियों द्वारा 533 मनुष्य मारे गए

**मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधी आँकड़े**

बाय	2019	2020	2021
बांधों द्वारा मारे गए मनुष्य	50	44	31
बांधों की प्राकृतिक मृत्यु	44	20	4
बांधों की आप्राकृतिक मृत्यु, शिकार द्वारा नहीं	3	0	2
जांच के द्वारे में बांधों की मौत	22	71	07
शिकार के चलते बांधों की मृत्यु	17	8	4
जब्ती	10	7	13

**हाथी**

बाय	2018-19	2019-20	2020-21
हाथियों द्वारा मारे गए मनुष्य	-	585	461
देनों द्वारा मारे गए हाथी	19	14	12
विद्युत आधात द्वारा	81	76	65
शिकार द्वारा	6	9	14
विष देकर	9	0	2



## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. वाणिज्य में प्राणी-जात और वनस्पति-जात के व्यापार-संबंधी विश्लेषण (TRAFFIC) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिए: (2017)

1. TRAFFIC संयुक्त राष्ट्र प्रशासन कार्यक्रम (UNEP) के तहत एक ब्यूरो है।
2. TRAFFIC का मशिन यह सुनिश्चित करना है कि विन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण का खतरा न हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वाणिज्य (TRAFFIC/ट्रैफिक) में जीवों और वनस्पतियों का व्यापार संबंधित विश्लेषण, वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature- WWF) तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN) का एक संयुक्त कार्यक्रम है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। यह UNEP के तहत ब्यूरो नहीं है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- TRAFFIC यह सुनिश्चित करता है कि विन्य पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण हेतु खतरा नहीं है। अतः कथन 2 सही है।
- TRAFFIC बाघ के अंगों, हाथी दाँत और गैंडे के सींग जैसे नवीनतम विश्व स्तर पर आवश्यक प्रजातियों के व्यापार के मुद्दों, संसाधनों, विशेषज्ञता और जागरूकता पर केंद्रित है। इसमें लकड़ी एवं मत्स्य उत्पादों जैसे सामानों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक व्यापार के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है, साथ ही यह तवरिति परिणाम तथा नीतिउन्नयन के प्रयासों से संबंधित है।

अतः वकिलप (b) सही है।

स्रोत: डाउन टू अरथ

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/conference-on-human-wildlife-conflict>